## SVEP (स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम) मेंटर नीति

### परिचय

जीविका अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास की यात्रा वर्ष 2017 में स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) के माध्यम से छह ब्लॉकों से शुरू हुई और वर्ष 2024 में यह बाईस ब्लॉकों तक पहुँच चुकी है (फेज 1: 2017 से 2021 तक - 6 ब्लॉक; फेज 2: 2018 से 2021 तक - 6 ब्लॉक; फेज 3: 2023 से 2027 तक - 10 ब्लॉक)। स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Program) को ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की मदद करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण (SVEP फेज 1 और 2) में कुदुम्बश्री राष्ट्रीय संसाधन संगठन (कुदुम्बश्री नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन) ने परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में सहयोग प्रदान किया। SVEP फेज 3 से, जीविका ने परियोजना प्रबंधन इकाई की भूमिका निभाई, जिसमें कुदुम्बश्री एनआरओ ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता की। SVEP मास्टर सर्कुलर दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 से अधिक SVEP ब्लॉकों को लागू करने वाले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को पीएमयू मॉडल में स्थानांतरित होना चाहिए और परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) का सहयोग केवल क्षमता निर्माण तक सीमित होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जीविका में SVEP कार्यान्वयन 22 ब्लॉकों तक पहुँच गया है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसे लगातार विस्तारित करने का लक्ष्य है (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 नए ब्लॉकों की मंजूरी प्राप्त हुई है)। मास्टर सर्कुलर दिनांक 22 नवंबर 2022 (संदर्भ - अध्याय III, पृष्ठ संख्या 18), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सामुदायिक संगठन, कैडर और स्टाफ को परियोजना कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए मेंटर्स पूल विकसित करने का मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार, मेंटर पूल का विकास करना उद्यमिता विकास कार्यक्रम के सफल एवं आत्मनिर्भर विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

SVEP मेंटर्स ऐसे मानव संसाधन का समूह होंगे, जो पहले से ही उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (SVEP/Micro Enterprise Consultant) के तहत प्रशिक्षित हो चुके हैं और जिन्हें व्यावसायिक प्रबंधन की सैद्धांतिक समझ और सामुदायिक स्तर पर लघु उद्योग को बढ़ावा और सहयोग देने का अनुभव है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियाँ सामुदिक संगठन को तकनीकी और संचालनात्मक सहायता प्रदान करना है ताकि सामुदिक संगठन को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में मार्गदर्शन, क्रियान्वन, निगरानी एवं मूल्यांकन का सहयोग प्राप्त हो। वर्तमान में मेंटर पूल को विशेष रूप से SVEP कार्यक्रम के लिए विकसित किया जा रहा है। हालांकि, नीति कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, इस सहयोग का विस्तार SVEP स्कीम (SVEP, OSF, AGEY, MED, इत्यादि) अंतर्गत सभी कार्यक्रमों में किया जाएगा।

**SVEP कैडर विकास पथ**

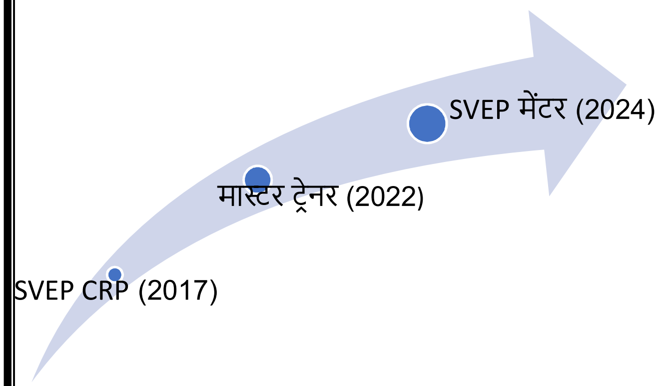


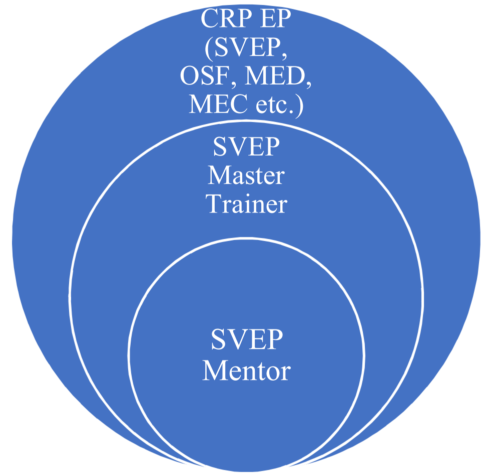


**कुदुम्बश्री NRO** विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक संगठनो, कैडर एवं स्टाफ के क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता आया है। SVEP अंतर्गत मेंटर पूल की विकास के लिए, जीविका, कुदुम्बश्री NRO से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का सहयोग आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, जीविका, वार्षिक कार्य योजना (AAP) के तहत नए अनुमोदित ब्लॉकों एवं जिलों में SVEP स्कीम के लिए आवश्यकतानुसार मेंटर्स की नियुक्त प्रक्रिया क्रियान्वित करेगा।

**१. SVEP मेंटर की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:**

- दिशा-निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रणालियों और प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना।
- परियोजना के तहत कैडरों और सामुदिक संस्थानों की क्षमता निर्माण करना ताकि वे कुशल और स्थायी रूप से कार्य कर सकें।
- परियोजना को समय सीमा के अनुसार लागू करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक टीमों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- BEPC (Block Enterprise Promotion Committee) और ब्लॉक बीपीएम (BPM) को योजना, प्रगति, उपलब्धियों और चुनौतियों पर समय-समय पर रिपोर्ट करना।
- उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी संस्थानों के साथ समन्वय करना।
- परियोजना स्तर के हितधारकों और संस्थानों के साथ डेटा प्रबंधन और रखरखाव के उपाय स्थापित करना।
- ब्लॉक में मौजूद संभावित क्षेत्रों और अवसरों के आधार पर उद्यमों की स्थापना, विकास और परामर्श का प्रदर्शन करना।
- उद्यमों के उत्तम क्रियान्वन एवं अनुबंधन के दस्तावेजों का कोष विकसित करना।
- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPCU), और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई (BPIU) द्वारा उद्यम विकास परियोजनाओं से संबंधित जारी सभी निर्देशों का पालन करना।

- उद्यम स्थापना, वित्तपोषण या विकास के लिए उपलब्ध योजनाओं, कार्यक्रमों और फंड्स से अवगत रहना।
- MIS आधारित रिपोर्टिंग और निगरानी करना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना।
- उद्यमों का औपचारिकरण सुनिश्चित करने में सहायता करना, जैसे उद्योग आधार पंजीकरण।
- फॉरवर्ड (मार्किट) और बैकवर्ड (कच्छा माल खरीद) लिंकेज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यवसाय विकास में सहयोग करना।
- जीविका द्वारा प्रोत्साहित सामुदायिक संगठन (CBOs) द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना।

**२. पात्रता मापदंड:**

- **शैक्षणिक योग्यता:** न्यूनतम 12वीं पास और पढ़ने-लिखने में सक्षम।
- **कार्य अनुभव-** BRLPS के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (SVEP/MEC) में CRP के रूप में न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव एवं कुदुम्बश्री NRO द्वारा प्रशिक्षित। दोनों दावों की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- **वरीयता:** SVEP/MEC CRPs को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें BRLPS/कुदुम्बश्री NRO में मास्टर ट्रेनर या मेंटर के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

**३. पदों की संख्या:**

- मेंटर पद- 25

**४. मेंटर्स का पूल/पैनल बनाना:**

- चयनित SVEP मेंटर्स को BRLPS संपोषित CBOs के साथ SVEP (SVEP स्कीम) के मेंटर के रूप में पूल/पैनल में शामिल किया जाएगा।

**५. प्रशिक्षण:**

**क**) चयनित SVEP मेंटर्स के समूह को कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

**ख**) चयनित मेंटर्स को परियोजना की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण लेने और ब्लॉक/जिले के बाहर यात्रा करने या रहने के लिए तैयार रहना होगा।

**ग**) प्रदर्शन ग्रेडिंग (Performance Grading) के आधार पर कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेंटर्स को शामिल किया जाएगा। चयनित मेंटर्स के लिए प्रशिक्षण इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है:

**चरण I: प्रारंभिक प्रशिक्षण**

| मॉड्यूल | विषय | टास्क (कार्यभार) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **व्यवसाय पुनरावलोकन** | प्रतिभागियों को हैंडबुक के माध्यम से व्यावसायिक अवधारणाओं की पुनरावृत्ति। | व्यवसायिक योजना और वित्तीय विवरण तैयार करना। |
| **SVEP परिचय** | a) दिशानिर्देश और कार्यान्वयन के लक्ष्य।<br>b) फील्ड फैसिलिटेटर गाइड (Field Facilitator Guide) के माध्यम से चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रिया<br>c) निगरानी ढांचा।<br>d) क्षमता निर्माण मॉड्यूल (Block Enterprise Promotion Committee और उद्यमिता मॉड्यूल) । | अध्ययन सामग्री का अध्ययन। |
| **मेंटर्स के रूप में कार्य करना** | मेंटर्स की भूमिकाएँ, MIS, रिकॉर्ड पुस्तिकाएँ, मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR), PFMS, रिपोर्टिंग और समीक्षा, PTS जांच, CRP-EP कार्य रिपोर्ट समीक्षा, और बैठक एजेंडा। | - |

**चरण II: ऑन-जॉब प्रशिक्षण**

प्रतिभागियों को मेंटर के रूप में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें सामान्य और जिला/ब्लॉक-विशिष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर कुदुम्बश्री NRO के वरिष्ठ मेंटर उनके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

**प्रशिक्षण का समापन:**

- प्रशिक्षण के अंत में मेंटर्स का ग्रेडिंग किया जाएगा।
- परियोजना की आवश्यकताओं और ग्रेडिंग के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेंटर्स को संबंधित ब्लॉक (SVEP Block Resource Centre) से जोड़ा जाएगा।
- संबंधित SVEP Block Resource Centre उन्हें SVEP मेंटर के रूप में सेवा के लिए एक आधिकारिक पत्र (अनुलग्नक ख) जारी करेगा।
- मेंटर्स को उनके आवंटित कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए तैयार रहना होगा।

## ६. कार्यकाल की अवधि

SVEP मेंटर्स को SVEP और अन्य परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार परियोजना की अवधि के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन पर आधारित होगा।

## ७. कार्य स्थान

SVEP मेंटर्स को सामुदिक संगठन के द्वारा ब्लाक रिसोर्स सेंटर/ब्लॉक में नियुक्त किया जाएगा। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ब्लॉक/जिला के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करनी होगी।

## ८. रिपोर्टिंग और समीक्षा तंत्र

SVEP मेंटर्स मासिक योजना और कार्य रिपोर्ट संदर्भित सामुदिक संगठन/Block Resource Centre और BPM को हर महीने की शुरुआत और अंत में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही उनका वार्षिक मूल्यांकन भी किया जाएगा ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

## ९. अवकाश नीति

क) SVEP मेंटर्स को योजनाबद्ध कार्यदिवसों में अवकाश के लिए BEPC से अनुमोदन लेना होगा (BPM को सूचना देना आवश्यक) । अवकाश अवधि के दौरान कोई मानदेय या TA-DA लागू नहीं होगा।

**१०. भरण-पोषण/निर्वाह् भत्ता (Subsistence Allowance)-** प्रशिक्षण अवधि के दौरान भत्ते का भुगतान उनके ग्रेड के अनुसार किया जाएगा:

| श्रेणी | 15 दिनों से कम | लगभग 30 दिन |
|---|---|---|
| ग्रेड A | ₹3500/- | ₹6000/- |
| ग्रेड B | ₹3000/- | ₹5500/- |
| ग्रेड C | ₹2500/- | ₹5000/- |

प्रशिक्षण अवधि के बाद राशि के 75% के अनुपात में और Block Resource Centre के साथ उसकी सेवाएं शुरू होने के बाद राशि के 25% के अनुपात में निर्वाह् भत्ता का भुगतान किया जाएगा। परियोजना के कारण, किसी भी अचानक विघटन के मामले में, मेंटर अधिकतम तीन महीने के लिए निर्वाह् भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

## ११. मानदेय और यात्रा भत्ता (TA-DA) मानदंड

| # | बजट प्रमुख | स्वीकृत राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| क | मेंटर्स के लिए मानदेय | - अपने ब्लॉक में: ₹800/दिन।<br>- अपने ब्लॉक के बाहर लेकिन अपने जिले में: ₹900/दिन।<br>- अपने जिले के बाहर: ₹1000/दिन। | यह भुगतान मेंटर्स की कार्य रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा जिसे संबंधित Block Resource Centre द्वारा स्वीकृत किया गया हो। |
| ख | यात्रा व्यय (प्रति राउंड) | स्लीपर किराया या वास्तविक खर्च, जो कम हो। | संबंधित Block Resource Centre को व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य। |
| ग | दैनिक भत्ता (भोजन और आवास) | - राज्य के भीतर, अपने जिले के बाहर: ₹500/व्यक्ति/दिन।<br>- राज्य के भीतर, अपने जिले में: ₹250/व्यक्ति/दिन। | इसमें भोजन और आवास की लागत शामिल है। कोई बिल आवश्यक नहीं है। |
| घ | स्थानीय आवागमन भत्ता | ₹160 प्रति दिन। | कोई बिल आवश्यक नहीं है। |
| ङ | मुख्यालय के बाहर यात्रा (समीक्षा /प्रशिक्षण/बैठकों के लिए) | - राज्य के भीतर स्लीपर यात्रा: वास्तविक खर्च।<br>- दैनिक भत्ता: ₹500/दिन।<br>- आवास: ₹1000/दिन (यदि बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है) । | मेंटर्स को आवश्यकता के अनुसार यात्रा करनी होगी। |

१२. **भुगतान:**

**क**) कार्य रिपोर्ट और व्यय विवरण, जो संबंधित सामुदिक संगठन/BRC द्वारा स्वीकृत और BPM द्वारा प्रमाणित किए गए हों, को भुगतान प्रक्रिया के लिए BRC स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

**ख**) प्रति माह अधिकतम 24 कार्य दिवसों की अनुमति होगी।

**ग**) छुट्टियों (बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार) पर कोई कार्य नहीं माना जाएगा।

**घ**) निर्धारित कार्य के खिलाफ की गई कार्य रिपोर्ट को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक BEPC को जमा करना होगा, और मानदेय 10 तारीख तक निर्गत की जाएगी।

१३. **व्यय की बुकिंग (Booking of Expenditure):**

**क**) मेंटर्स से संबंधित व्यय को "मेंटर्स और ब्लॉक सपोर्ट" बजट हेड के तहत बुक किया जाएगा।

१४. **सेवाओं का समाप्तिकरण (Discontinuation of Services):**

**क**) क्षेत्र में दुर्व्यवहार या जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफलता के कारण SVEP मेंटर्स की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

**ख**) यदि मेंटर अपनी सेवाओं को समाप्त करना चाहता है, तो उसे संबंधित BRC को 15 दिन पहले नोटिस देकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

**ग**) अनुमोदन के बाद हैंडओवर-टेकओवर और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

१५. **विवाद समाधान:**

**क**) **SVEP मेंटर और CBO हितधारक के बीच विवाद-** इसे ब्लॉक स्तर पर BPM की अध्यक्षता में हल किया जाएगा।

**ख**) **SVEP मेंटर और ब्लॉक स्तर के हितधारकों के बीच विवाद-** इसे जिला स्तर पर DPM की अध्यक्षता में हल किया जाएगा।

**ग**) **SVEP मेंटर और जिला स्तर के हितधारकों के बीच विवाद-** इसे राज्य मिशन टीम द्वारा SPM-HR/OSD/डायरेक्टर की अध्यक्षता में हल किया जाएगा।

**घ**) **SVEP मेंटर और राज्य स्तर के हितधारकों के बीच विवाद-** इसे CEO JEEVIKA के स्तर पर हल किया जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में, राज्य मिशन का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा।